



माननीय श्रीमान अध्यक्ष महोदय म.प्र.राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट
कोर्ट भोपाल

निगरानी प्रकरण क्रमांक

/2018

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा/2018/2082

श्रीमति सरोज गुप्ता पत्नि स्व.श्री महेश गुप्ता.

निवासी-मकान नं. 18 गली नं.3 चोंदबड

भोपाल.....निगरानीकर्ता / आवेदिका

विरुद्ध

1. श्रीमति साधना अग्रवाल पत्नि श्री महेश कुमार अग्रवाल
2. श्रीमति वैकुण्ठी देवी पत्नि श्री ओमप्रकाश अग्रवाल
दोनो निवासी-16/103 शीतला गली आगरा उ0प्र0
3. श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय
तहसील हुजूर जिला भोपाल.
भोपाल.....गैर निगरानीकर्ता / अनावेदकगण

आवेदन पत्र अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0भूराजस्व संहिता 1959

यह निगरानी आवेदन पत्र आवेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के प्रकरण क्रमांक 95/ए-6-ए/2016-2017 पारित आदेश दिनांक 28/01/2018 श्रीमति सरोज गुप्ता पत्नि स्व.श्री महेश गुप्ता. विरुद्ध श्रीमति साधना अग्रवाल पत्नि श्री महेश कुमार अग्रवाल व अन्य से क्षुब्ध व दूखित होकर न्याय की प्रत्याशा में पारित आदेश के ज्ञान उपरान्त प्राप्त प्रतिलिपि के आधार पर निर्धारित न्यायशुल्क के साथ माननीय के समक्ष प्रस्तुत की है।

जज दिनांक
6-3-18 को
निगरानी प्रकरण
श्रीमति सरोज
पत्नि स्व.श्री
महेश गुप्ता
द्वारा भोपाल के
मैं प्रस्तुत
(२)
२६/३/१८



आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/R/ओपाल/शुल्क/18 भाग-अ

श्रीमती सरोज गुप्ता विरुद्ध श्रीमती साधना अग्रवाल

तहसील जिला ओपाल

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. तहसील का प्रकरण क्रमांक.

वाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
28-03-18	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला</p> <p>के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक.</p> <p>के विरुद्ध श्री <u>श्रीमती सरोज गुप्ता</u></p> <p>के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है।</p> <p>पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/ नहीं है/ मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/.....</p> <p>.....रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं / नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।</p> <p>प्रस्तुतकार आवेदक <u>श्रीमती सरोज गुप्ता</u></p> <p>उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस चाहा गया। विचारों पर आवेदक के निवेदन पर प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाता है।</p>	<p>28/3</p> <p>28/3</p>

अध्यक्ष

[पीछे देखिये]